राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1659/2024

पवन कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर, जिला भरतपुर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहनेरा, जिला भरतपुर।
5. देवेन्द्र कुमार, नर्सिंग ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहनेरा, जिला भरतपुर।
6. दीपक सक्सेना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहनेरा, जिला भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.04.2024
आदेश की दिनांक : 23.04.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहनेरा, जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या—4 के आदेश दिनांक 03.04.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी को कोल्ड चैन द्वितीय हैण्लर का चार्ज, आईपीडी, एमओटी आदि का समस्त चार्ज दिया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या—5 एवं 6 को अपीलार्थी का प्रभार दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.04.2024 (अनुलग्नक—2) द्वारा अलग—अलग आदेश से अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या—5 एवं 6 को चार्ज देने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2023 (अनुलग्नक—3) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या—6 के पास अन्य संस्थाओं का अतिरिक्त चार्ज होने के कारण सीएचसी बहनेरा के कोषाध्यक्ष का चार्ज अपीलार्थी को दिया गया। उपरोक्त आदेश से पहले अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 09.12.2022 द्वारा मेडिसिन स्टोर, अस्थाई स्टोर का कार्यभार संभाला था। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 04.04.2024 (अनुलग्नक—4) द्वारा सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किए जाने का निर्देश जारी किया है लेकिन प्रत्यर्थी संख्या—4 द्वारा सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना आदेश दिनांक

22.02.2024 जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आचार संहिता की अवधि के दौरान आलौच्य आदेश पारित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अल्पावधि में आलौच्य आदेश पारित कर दिया क्योंकि अपीलार्थी ने दिनांक 13.10.2023 को कार्यभार संभाला और केवलन पांच माह बाद ही आलौच्य आदेश दिनांक 01.04.2024 को पारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी की वरिष्ठता पर विचार किए बिना ही आलौच्य आदेश जारी कर दिया गया (अनुलग्नक–6)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.04.2024 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश क्रमांक 134 दिनांक 01.04.2024 एवं आदेश क्रमांक 135 दिनांक 01.04.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहनेरा, जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या–4 के आदेश दिनांक 03.04.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को कोल्ड चैन द्वितीय हैण्लर का चार्ज, आईपीडी, एमओटी आदि का समस्त चार्ज दिया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 एवं 6 को अपीलार्थी का चार्ज दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश क्रमांक 134 दिनांक 01.04.2024 एवं आदेश क्रमांक 135 दिनांक 01.04.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 एवं 6 को चार्ज देने हेतु आदेशित किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि मात्र 05 माह की अवधि में ही आलौच्य आदेश जारी किया गया है। इस आधार पर आालोच्य आदेश का क्रियान्वयन कर स्थगित करने का निवेदन किया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.04.2024 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहनेरा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के विभिन्न अनुभागों के कार्य विभाजन संबंधी आदेश है। यह स्थानान्तरण की परिभाषा में नहीं आता है। राज्य सरकार द्वारा भी कर्मचारियों के कार्य/सीट में बदलाव हेतु समय–समय पर निर्देश प्रसारित किए जाते रहे है। अतः हमारे मत में आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य